कोविड -19 में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम)

कार्यालय कर्मचारियों और फील्ड कर्मचारियों का प्रशिक्षण

कोरोना: एक वायरस, जो COVID-19 बीमारी का कारण बनता है

MetLife Foundation

MSC
MicroSave Consulting

खंड 1 - कार्यालय और फील्ड में कर्मचारी आत्म-सुरक्षा के उपाय

सारांश - यह खंड एसआरएलएम कार्यालय प्रबंधक (ब्लॉक/डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर) और फील्ड अधिकारियों के बीच चर्चा का वर्णन करता है। इस खंड में उन सभी सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गयी है जो कर्मचारियों को अपने फील्ड और कार्यालय में कोविड -19 महामारी के खिलाफ सुरक्षा के लिए अपनाना चाहिए।

स्थान- एसआरएलएम कार्यालय (ब्लॉक/डिस्ट्रिक्ट)

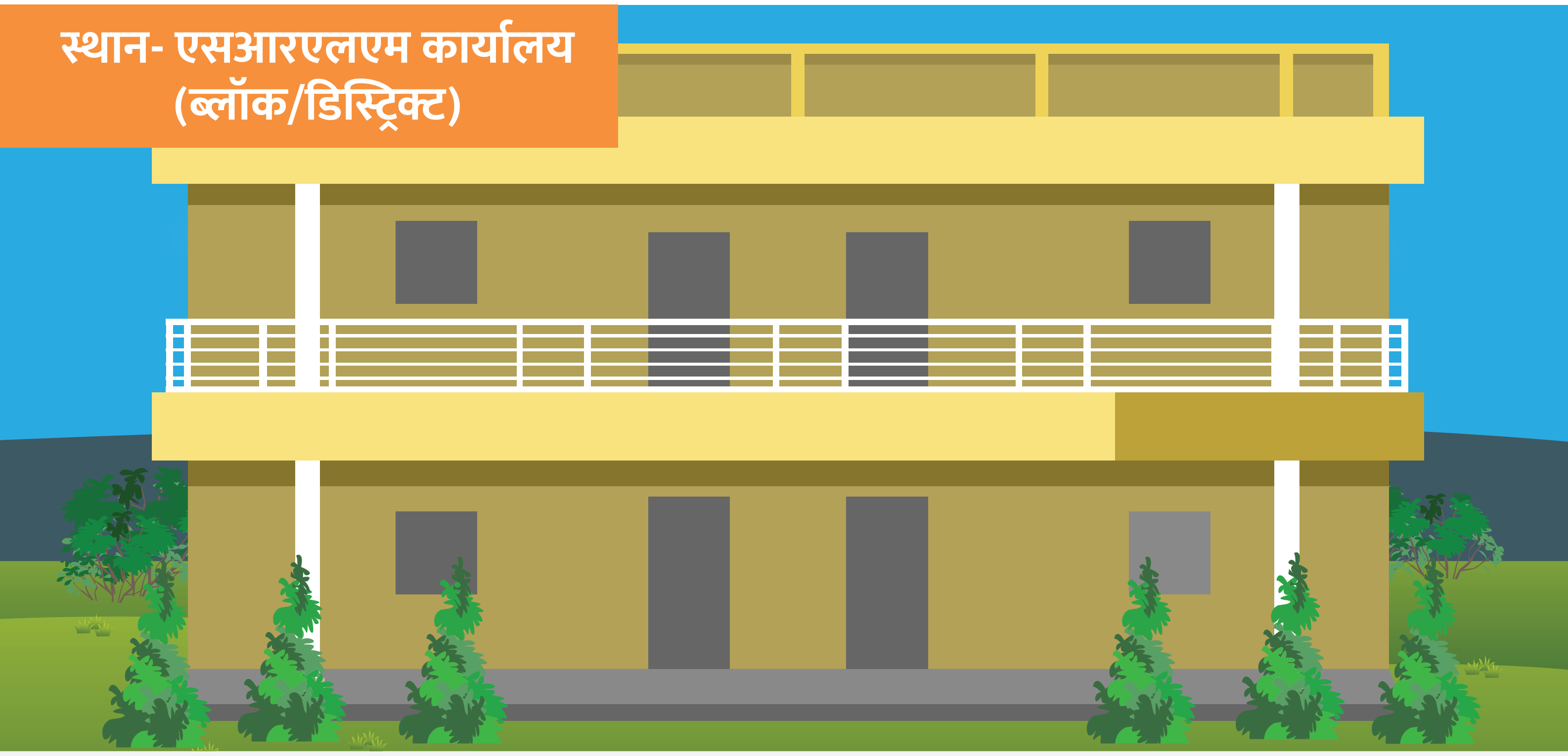

पात्र

रमेश
फील्ड अधिकारी

लक्ष्मी
फील्ड अधिकारी

फ़ातिमा
फील्ड अधिकारी

दिनेश
ब्लॉक/डिस्ट्रिक्ट
प्रोजेक्ट मैनेजर

कर्मचारी आत्म-सुरक्षा के उपाय (कार्यालय और फील्ड में)

नोट: कर्मचारियों को मास्क पहनना चाहिए और एक दूसरे से कम से कम 2 मीटर की न्यूनतम दूरी बनाए रखनी चाहिए।

कर्मचारी आत्म-सुरक्षा के उपाय (कार्यालय और फील्ड में)

कर्मचारी आत्म-सुरक्षा के उपाय (कार्यालय और फील्ड में)

कर्मचारी आत्म-सुरक्षा के उपाय (कार्यालय और फील्ड में)

कर्मचारी आत्म-सुरक्षा के उपाय (कार्यालय और फील्ड में)

01 अपने हाथों को साबुन और पानी या हैंड सेनिटाइजर से बार-बार धोएं

02 छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुँह को रूमाल / टिशू से ढकें

03 जहां तक संभव हो आँख, नाक और मुंह को छूने से बचें

04 गले मिलने और हाथ मिलाने से बचें। इसके बजाय, दूर से अभिवादन करें

05 सामाजिक दूरी का अभ्यास करें और बड़े समूहों में शामिल होने से बचें

06 लोगों से कम से कम 6 फीट / 2 मीटर की दूरी बनाए रखें

07 यदि आपको बुखार, खाँसी, गले में खराश, साँस लेने में कठिनाई है तो स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क से बचें और स्वयं को क्वारंटाइन या समाज से अलग (एकांतवास) कर लें

08 घर से बाहर जाते समय मास्क पहनें

कर्मचारी आत्म-सुरक्षा के उपाय (कार्यालय और फील्ड में)

1. अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रखने के लिए, कृपया एक अलग कमरे में रहें और हर समय मास्क पहनें।
2. जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, बाहर न जाएं।
3. स्वस्थ व्यक्तियों से 2 मीटर (6 फीट) की दूरी बनाए रखें।
4. अपने हाथों को साबुन या हैंड सेनिटाइजर से बार-बार धोएं।

कर्मचारी आत्म-सुरक्षा के उपाय (कार्यालय और फील्ड में)

कर्मचारी आत्म-सुरक्षा के उपाय (कार्यालय और फील्ड में)

कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कदम

हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि सैनिटाइज़र, साबुन, और डिसइंफेक्टेंट/फिनाइल पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो

i) सभी कर्मचारियों और सदस्यों को प्रतिष्ठान में प्रवेश करने और बाहर निकलने से पहले अपने हाथों को धोना / साफ करना चाहिए

ii) 2 घंटे के अंतराल में कार्यालय क्षेत्रों को सैनिटाइज़ या साफ करें। अपने डेस्कटॉप, टेलीफोन, दरवाज़े के हैंडल, सीढ़ियों और खाने के क्षेत्रों को साफ़ करें

iii) मीटिंग या आम क्षेत्रों में प्रवेश करते समय हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करें

श्वसन शिष्टाचार स्थापित करें

i) हर समय मास्क का प्रयोग करें

ii) खांसते और छीकते समय मुँह को ढकें

iii) खांसने और छींकने के बाद सेनिटाइज़र से हाथ साफ़ करें या अपने हाथों को साबुन से धोएं

कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कदम

सामाजिक स्पर्श शिष्टाचार से बचें

i) गले लगाने या हाथ मिलाने से बचें

सुरक्षित दरी बनायें रखें

i) सभी कर्मचारियों और सदस्यों से 6 फीट / 2 मीटर की दूरी बनाए रखें

ii) कार्यालय के अंदर 5 से अधिक सदस्यों के एक साथ इकट्ठा होने की अनुमति न हो और कार्यालय में भीड़ न लगने दें

iii) बुज़ुर्ग, गर्भवती और छोटे बच्चों के साथ आने वाले लोगो को विशेष समय पर कार्यालय में बुलाएँ

सदस्यों को सुरक्षा नियमो का पालन करने हेतु साइन बोर्ड लगाए

कर्मचारी आत्म-सुरक्षा के उपाय (कार्यालय और फील्ड में)

कर्मचारी आत्म-सुरक्षा के उपाय (कार्यालय और फील्ड में)

कर्मचारी आत्म-सुरक्षा के उपाय (कार्यालय और फील्ड में)

कर्मचारी आत्म-सुरक्षा के उपाय (कार्यालय और फील्ड में)

कर्मचारी आत्म-सुरक्षा के उपाय (कार्यालय और फील्ड में)

खंड 2 - कार्यालय में सदस्यों के सुरक्षा उपाय हेतु

सारांश - यह खंड एसआरएलएम कार्यालय में एक एसआरएलएम कार्यालय प्रबंधक (ब्लॉक/डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर) और समूह सदस्य के बीच चर्चा का वर्णन करता है। वे समूह सदस्यों की सुरक्षा के लिए एसआरएलएम द्वारा अपनाई गई विशेष सेवाओं और सदस्यों की सुरक्षा के उपायों पर चर्चा करते हैं।

स्थान- एसआरएलएम कार्यालय (ब्लॉक/डिस्ट्रिक्ट)

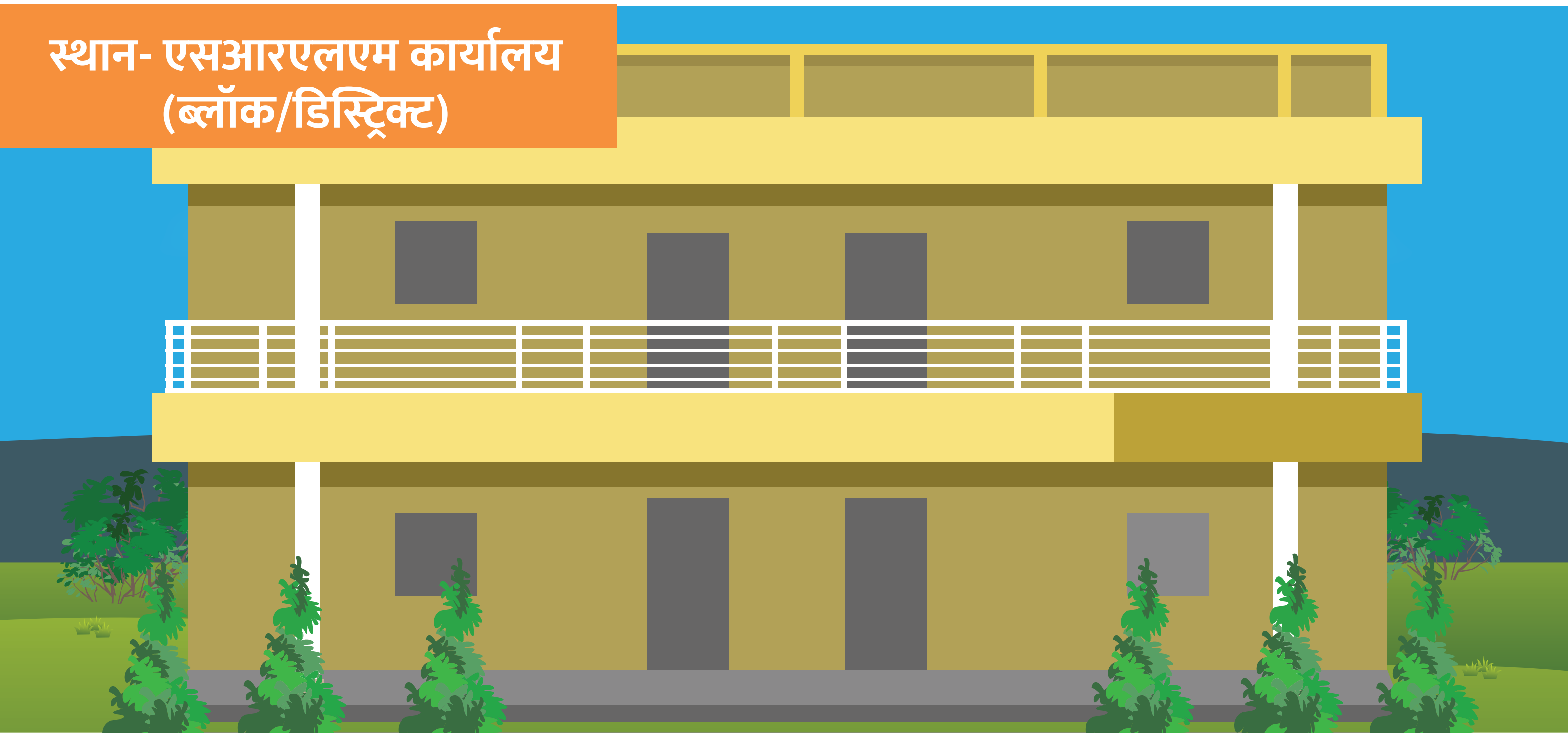

पात्र

कार्यालय में सदस्यों की सुरक्षा हेतु उपाय

नोट: कर्मचारी और सदस्यों को मास्क पहनना चाहिए।

कार्यालय में सदस्यों की सुरक्षा हेतु उपाय

कार्यालय में एक दूसरे से कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखें।

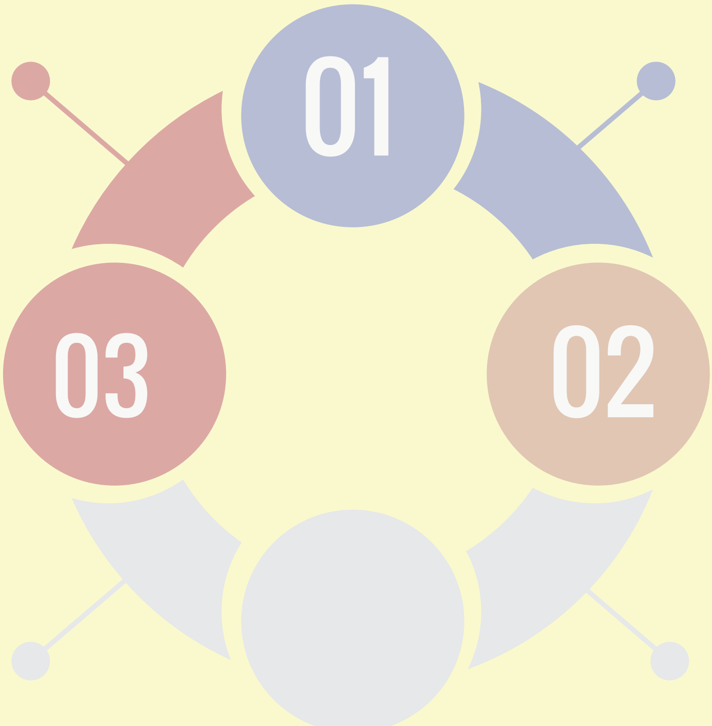

कृपया श्वास शिष्टाचार का पालन करें :

- किसी के ऊपर खाँसी या छींक से बचें। हमेशा मास्क लगाकर रखें।
- खांसते / छींकते समय हमेशा अपनी नाक और मुँह ढक कर रखें।
- खांसने / छींकने के तुरंत बाद अपने हाथ धो लें।

कार्यालय में रहते हुए किसी भी प्रकार के शारीरिक स्पर्श और संपर्क से बचें।

कार्यालय में सदस्यों की सुरक्षा हेतु उपाय

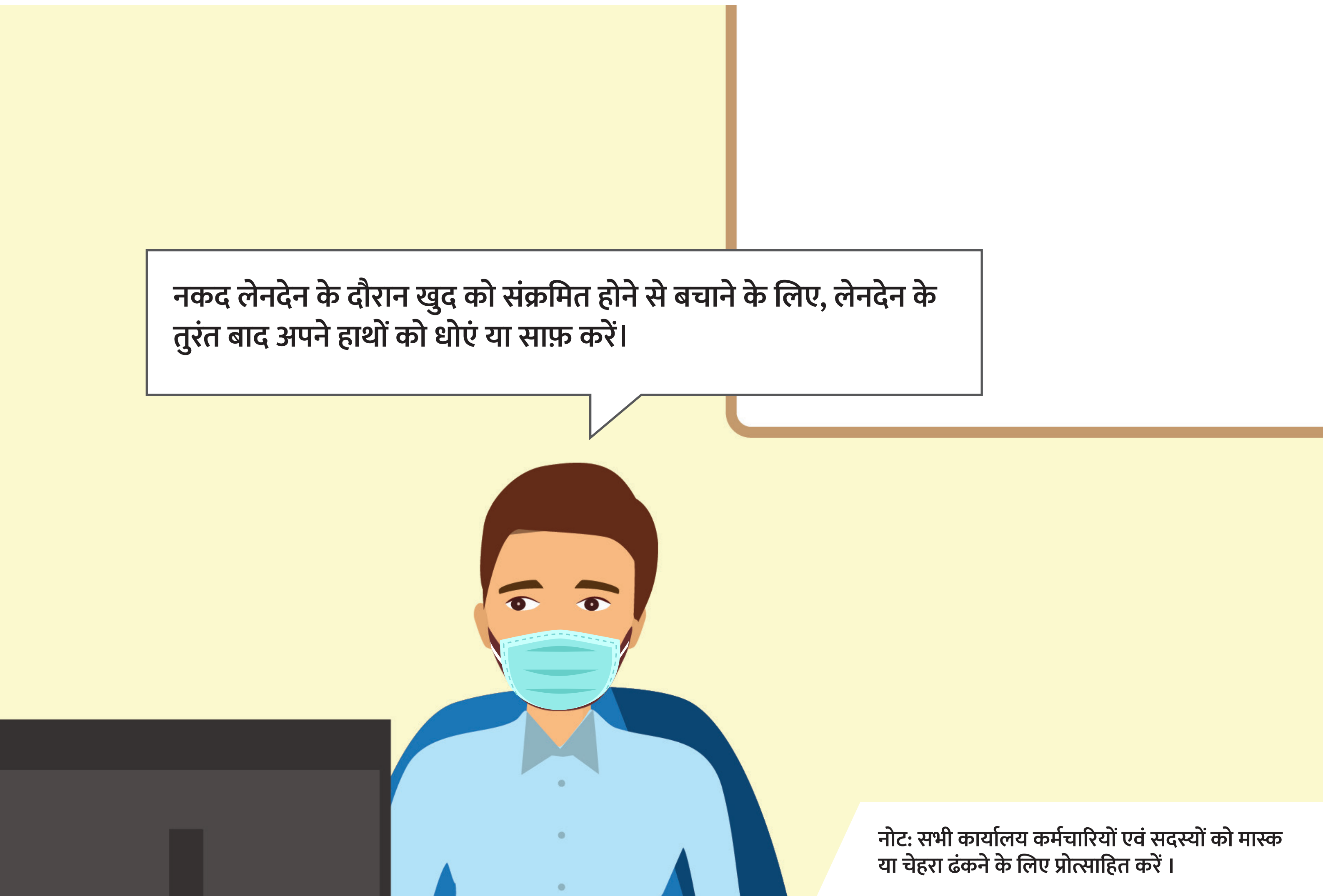

नोट: सभी कार्यालय कर्मचारियों एवं सदस्यों को मास्क या चेहरा ढंकने के लिए प्रोत्साहित करें।

आपातकालीन संपर्क

किसी भी आपात स्थिति या किसी भी तरह की सहायता के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें।
और किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में, सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर (+ 91-11-23978046) पर संपर्क करें या नजदीकी कोविड -19 डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर/अस्पताल में जाएं।

April 2020

References:
World Health Organization, WHO
Occupational Safety and Health Administration, OSHA
Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

अस्वीकरण :
COVID-19 पर नवीनतम दिशानिर्देशों की जानकारी के लिए, कृपया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट https://www.mohfw.gov.in/ पर जाएँ।

यद्यपि हमने यह सुनिश्चित करने का हर प्रयास किया है कि इस कॉमिक में निहित जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से ही प्राप्त की गयी हो, लेकिन फिर भी यदि इस कॉमिक में निहित या उल्लेखित जानकारी में कोई त्रुटि अथवा चूक पायी जाती है तो इसके लिए MSC और / या उसके पार्टनर / फंडर, इस जानकारी के उपयोग से प्राप्त परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं/होंगे। इस कॉमिक में सभी जानकारी "जैसी है" प्रदान की गई है और उसकी पूर्णता, सटीकता, समयबद्धता, या इस जानकारी के उपयोग से प्राप्त परिणामों की कोई गारंटी नहीं है और इसमें निहित, उल्लेखित जानकारी का उपयोग किसी भी तरह के प्रदर्शन, व्यापारिक उपयोगिता, और किसी विशेष उद्देश्य की उपयुक्तता, (सहित लेकिन सीमित नहीं) की वारंटी नहीं लेता है।
इस कॉमिक की विषयवस्तु मात्र सामान्य जानकारी देने के लिए है, न कि कानूनी सलाह या राय देने के लिए और इस कॉमिक को किसी भी परिस्थिति या स्थिति में कानूनी, विनियामक या कर सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए और इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

MetLife Foundation

MSC
MicroSave Consulting